



सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा (हि0प्र0)
SAINIK SCHOOL SUJANPUR TIRA (HP)
स्कूल रूटीन आदेश/SCHOOL ROUTINE ORDERS BY
ग्रुप कप्तान रचना जोशी, प्रधानाचार्य द्वारा
GP CAPT RACHNA JOSHI, PRINCIPAL

क्रम संख्या/S.No :

24 अगस्त /Aug 26

सत्र 2026-27 के लिए टर्म-I (VI - VIII)/पीटी-II (IX - XII) परीक्षाएँ/Term – I (VI - VIII/PT-II (IX - XII) Examinations: Session 2026-27

1. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए टर्म-I (VI - VIII)/पीटी-II (IX - XII) परीक्षाएँ 09 सितंबर 2026 से निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित हैं:-

Term-I (VI – VIII)/PT-II (IX - XII) Examination for the academic session 2026-27 is scheduled w.e.f. **09 Sep 26** as per the following programme:-

<u>Date</u>	<u>Day</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
09-09-26	Wed	Math	Skt	Hindi	-	-	-	-
12-09-26	Sat	Hindi	S.St	Sci	Eng	Math	Bio/Comp	-
15-09-26	Tue	Eng	Hindi	S.St	S.St	Sci	Math	-
18-09-26	Fri	Skt	Eng	Eng	Math	Hindi	Eng	-
21-09-26	Mon	S.St	Sci	Math	Sci	Eng	Phy	Math
24-09-26	Thu	Sci	Math	Skt	Hindi	S.St	Chem	-

- (a) नाश्ता/Breakfast - 0830 hrs (effective from 07 Sep 26 till 24 Sep 26)
- (b) एकत्रित होना/Fall- in - 0930 hrs (By Duty Tutors) & NCC Staff
- (c) परीक्षा/Examination - Term-I (1000 hrs to 1300 hrs) 3 hrs
PT-II (1000 hrs to 1200 hrs) 2 hrs
- (d) दोपहर का भोजन/Lunch - 1315 hrs
- (e) संबंधित अवधियों में टर्म-I (XI और XII) के लिए व्यावहारिक/एएसएल/लैब गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी/Practical/ASL/Lab Activities to be conducted for Term-I (XI & XII) in respective periods.

तैयारी/Preps

2. 07 सितम्बर से 23 सितम्बर 2026 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार छात्रावासों में दोपहर और शाम की तैयारी की जाएगी/Afternoon and evening Preps will be conducted in hostels as per following schedule for the period from **07 Sep** to **23 Sep 26**.

<u>Ser</u>	<u>Timings</u>	<u>Duty Personnel</u>
(a)	1500 – 1600 hrs	Supervised by Hostel Suptds
(b)	1700 – 2000 hrs	Supervised by Duty Tutors

गैर-परीक्षा/Non-Examinations

3. 7 सितंबर से 23 सितंबर 2026 तक, जिन दिनों परीक्षा नहीं होगी, उन दिनों सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक संबंधित हॉस्टलों में 'मॉर्निंग प्रेप्स' (सुबह की पढ़ाई) आयोजित की जाएगी। शिक्षक और हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट हॉस्टल में अपनी ड्यूटी करेंगे। शिक्षकों को डॉरमेट्री या हाउस ऑफिस में मौजूद रहना होगा। कोई भी शिक्षक हॉस्टल परिसर के बाहर नहीं बैठेगा। 7 सितंबर से 24 सितंबर 2026 की अवधि के दौरान PT (शारीरिक प्रशिक्षण) नहीं होगा। हॉस्टल में 'प्रेप रोल कॉल' (उपस्थिति की जांच) की जाएगी। 7 सितंबर 2026 को सुबह 9:30 बजे से, क्लास इंचार्ज की देखरेख में QM सेक्शन द्वारा फर्नीचर को दूसरी जगह रखने और क्लास की व्यवस्था करने का काम किया जाएगा। 24 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच, क्लास इंचार्ज की देखरेख में QM सेक्शन द्वारा फर्नीचर को वापस अपनी जगह पर रखने का काम किया जाएगा। 24 सितंबर 2026 (दोपहर बाद) से स्कूल में दोपहर और शाम की 'प्रेप्स' (पढ़ाई) होंगी।

Morning Preps will be conducted in the respective Hostels on non-examination days from **0900 hrs to 1245 hrs** wef **07 Sep to 23 Sep 26**. Teachers and Hostels Superintendents will perform duty in the Hostels. Teachers to be available in the dormitories or in house office. No teacher to sit outside the hostel premises. PT will be suspended during the period wef 07 Sep – 24 Sep 26. Prep Roll calls will be taken in the Hostel. Shifting of furniture and arrangement of classes will be done by the QM Section under the supervision of class I/C on **07 Sep 26** from 0930 hrs onwards. Shifting back of furniture will be carried out by QM Section under supervision of class I/C on **24 Sep 26** from 1500-1600 hrs. The afternoon & evening preps will be observed in the school from **24 Sep 26 (AN)** onwards.

परीक्षाओं के लिए निर्देश/Instructions for Examinations

4. (a) परीक्षार्थी स्कूल भवन में पुस्तकें, नोटबुक, हेल्पबुक या अन्य कोई भी अध्ययन सामग्री नहीं लाएंगे। स्कूल भवन में पाई जाने वाली ऐसी सभी सामग्री जब्त कर ली जाएगी।

Examinees will not bring books, note-books, help-books and any other study material into the School building. All such material which is found in the School building will be confiscated.

(b) परीक्षार्थी अपने साथ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं रखेंगे। उत्तर पुस्तिकाएँ वितरित करने से पहले, निरीक्षकों को परीक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने आस-पास किसी भी अवांछित/अनधिकृत सामग्री की जाँच करें और उसे हटा दें।

Examinees will not possess any objectionable material on their person. Before the distribution of answer sheets, Invigilators should ask the examinees to look around for any unwanted/unauthorised material and remove it.

(c) परीक्षार्थी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं - पेन, पेंसिल, रबर, फुट-रूलर, स्केच-पेन आदि साथ लाएंगे। वस्तुओं को उधार देने या लेने की अनुमति नहीं होगी।

Examinees will bring their items of requirements - pen, pencil, rubber, foot-ruler, sketch-pens etc. Lending and borrowing of items will not be permitted.

(d) परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले शौचालय जाएँ और आराम करें। उन्हें असाधारण/चिकित्सीय कारणों को छोड़कर शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Examinees are advised to go to toilet and to ease themselves before entering the examination room. They will not be permitted to go to toilet except under exceptional/medical grounds.

(e) कैडेटों को संबंधित शिक्षक से किसी भी प्रकार का संदेह स्पष्ट करने के लिए परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण के समय सभी उचित शंकाओं का

समाधान किया जाना चाहिए, तथा प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि/त्रुटियों के लिए कैडेटों को अनावश्यक रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

Cadets will not be permitted to leave exam-room to clarify a doubt with the teacher concerned. All reasonable doubts should be settled at the time of distribution of answer sheets without unduly penalizing the cadets for the mistakes/errors in the question paper, if any.

(f) एक रिलीवर केवल 10-12 मिनट के लिए निरीक्षक को कार्यमुक्त करेगा। सभी निरीक्षकों से अनुरोध है कि वे समय का कड़ाई से पालन करें।

A reliever will relieve the Invigilator for 10-12 minutes only. All the Invigilators are requested to strictly adhere to the timings.

अनुचित साधनों का प्रयोग/Use of Unfair Means

5. (i) यदि कोई परीक्षार्थी मौखिक रूप से अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसे अपनी उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

An examinee found resorting to unfair means by word of mouth shall be asked to submit his answer sheet.

(ii) परीक्षा के दौरान नकल सामग्री के साथ पकड़े जाने या गंभीर प्रकृति के कदाचार में लिप्त पाए जाने पर, परीक्षार्थी से उत्तर-पत्रक जमा करने को कहा जाएगा और उसके विरुद्ध अनुचित साधनों का मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामलों में, उसके कुल प्राप्तांकों में से अंक काट लिए जाएंगे और उसे शेष परीक्षाओं/विद्यालय से निलंबित कर दिया जाएगा तथा उसे एक नई उत्तर-पत्रक दी जाएगी।

An examinee caught in possession of copying material during the course of examination or caught resorting to malpractice of serious nature shall be asked to submit the answer-sheet and case of unfair means shall be initiated against the said examinee. Such cases will entail deduction of marks from the total marks scored and suspension from the remaining examinations / school and a fresh answer sheet will be given to such examinee.

(iii) पैरा 5 (ii) के अंतर्गत सभी मामले निरीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणियों के साथ प्रभारी परीक्षा को भेजे जाएंगे। प्रभारी परीक्षा मामले को अपनी सिफारिशों के साथ वरिष्ठ मास्टर को भेजेंगे, जो उप-प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्रवाई के बारे में जानकारी देंगे और सिफारिश करेंगे।

All cases as under para 5 (ii) shall be forwarded by the invigilator with his/her observations to I/c Examination. I/c Examination will forward the case to Senior Master with his recommendations who will brief and recommend the necessary action to the Vice Principal.

(iv) ऐसे मामलों को अभिभावकों की जानकारी और रिकार्ड के लिए उनकी अंक-सूची में दर्शाया जाएगा।

Such cases will be reflected in their Mark-List for the information to parents and for record.

(v) हाउस मास्टर को हाउस असेंबली के दौरान कैडेटों को उपर्युक्त नियमों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

House Master should brief cadets on the above mentioned rules during House Assembly.

सामान्य निर्देश/General Instructions

6. (a) श्री प्रवीण कुमार शर्मा, श्री नवीन सेन और श्री नरोत्तम सिंह 08 सितम्बर 2026 से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा प्रकोष्ठ की सहायता करेंगे।

Mr Praveen Kumar Sharma, Mr Naveen Sen & Mr Narottam Singh will assist the Examination Cell from **08 Sep 26** till the completion of the examination.

(b) शैक्षणिक ब्लॉक में ड्यूटी पर तैनात एक जनरल कर्मचारी निरीक्षकों को पानी उपलब्ध कराएगा।

One Gen Emp on duty in Academic Block will serve water to the invigilators.

(c) परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले निरीक्षक को परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना होगा।

Invigilator to be present in the Examination Room 10 min prior to the commencement of examination.

(d) परीक्षा के दौरान कोई भी निरीक्षक परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं आएगा।

No invigilator will come out of the examination room during examination.

(e) अवकाश/एनआरबी पर गए कैडेटों के लिए तिथि-पत्र भी संबंधित हाउसमास्टर द्वारा सूचित किया जाएगा।

The date sheet for cadets on leave/NRB to be conveyed by the respective Housemasters as well.

(f) किसी भी कैडेट को 1200 बजे (पीटी-II परीक्षा के लिए) और 1300 बजे (टर्म-I परीक्षा के लिए) से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

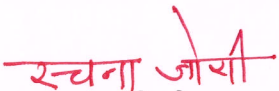
No Cadet will be permitted to leave the examination room before 1200 hrs (for PT-II exam) & 1300 hrs (for Term-I exam).

(g) निरीक्षण के दौरान कोई मूल्यांकन कार्य, समाचार पत्र या पत्रिकाएँ पढ़ना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को सतर्क रहना होगा। परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना है।

No evaluation work, reading newspapers and Magazine will be carried out during Invigilation. Invigilators should remain vigilant during the period of examination. No mobile to be carried inside the examination hall.

(h) परीक्षा के दौरान एनसीसी और एपीटीसी स्टाफ परीक्षा शाखा से जुड़े रहेंगे।

NCC and APTC staff will be associated with Examination Branch during Examinations.


(रचना जोशी)
(Rachna Joshi)
ग्रुप कप्तान
Gp Capt
प्रधानाचार्य
Principal